राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प03/2018/80 दिनांक : 05/10/2018

–: आदेश :–

राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम–1963 के संशोधित नियम 2011 के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग, राजस्थान जयपुर के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यार्थियों को चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के पद पर वेतनमान **लेवल–14** में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30/10/2017 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 39300/– प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से, **दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर** कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:–

S. NO.	Name	Father's Name	Gender	DOB	Cate gory	STATUS WITH CAT	PLACE OF POSTING
1	RITU KHICHAR	MOHAR SINGH	Female	22-04-87	GEN	UR WL	G.DISP NAVCHOKIA JODHPUR
2	AMAN LAMBA	SUMENDER SINGH LAMBA	Female	16-02-91	GEN	UR WL	CHC JAKHAL JHUNJHUNU

उक्त नियुक्तियां माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एसबी सिविल याचिका संख्या 16344/2018 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी तथा उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 30.07.2018 की पालना में विधवा/परित्यक्ता कोटे की आरक्षित रिक्तियों को परित्यक्ता/विधवा के अन्तः परिवर्तन (Interchanging) से नहीं भरा गया है।

उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन की जाती है:–

1. चिकित्सक को प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित नियंत्रण अधिकारी को देनी होगी, सीधे ही पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करेंगे।
2. परिवीक्षाधीन अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही पद का वेतनमान व अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ.13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.01.2004 के अनुसार उक्त नवनियुक्त चिकित्सकों पर नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
4. परिवीक्षाधीन अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि नियमानुसार देय होंगे एवं एनपीएस की कटौती नियमानुसार होगी।
5. चिकित्सक की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना है।
6. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात **दो से अधिक संतान होने पर चिकित्सक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो)** शपथ पत्र चिकित्सक से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जायेगा।
7. चिकित्सक द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिंट विभाग की वेबसाईट **http://www.rajswasthya.nic.in** से डाउनलोड कर अपनी उपस्थिति संबंधित नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करें।
8. चिकित्सक को कार्यग्रहण कराते समय **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति, विकलांग सर्टिफिकेट, यदि चिकित्सक विवाहित है तो विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, राजस्थान डेन्टल काउन्सिल का पंजीयन प्रमाण–पत्र जो कार्यग्रहण तिथि को नवीनीकरण** हो व अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
9. चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज फर्जी, परिवर्तित अथवा कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे। साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दण्डिक कार्यवाही की जावेगी।
10. संबंधित नियंत्रण अधिकारी/प्रभारी द्वारा चिकित्सक के समस्त मूल दस्तावेज प्राप्त कर जारी करने वाली संबंधित संस्था से सत्यापन करायेंगे। सत्यापन होने एवं सही पाये जाने पर ही चिकित्सक को उनके मूल दस्तावेज लौटाये जायेंगे। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किये जावेंगे। यदि कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूटरचित पाया जावे तो तत्काल निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करें।
11. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2002 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।

5/10/18

12. यह नियुक्ति आदेश संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन जारी किये जा रहे है।

13. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने के दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे। परिपत्र दिनांक 22.05.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. **अन्य पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग का नवीनतम जाति प्रमाण पत्र कार्यग्रहण करने की तिथि से छः माह पूर्व तक की अवधि का राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए, जिसमें क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टि स्पष्टतः अंकित होनी चाहिए।** इन वर्गों के क्रीमीलेयर अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है।

15. **ऐसे अभ्यर्थी जो विशेष योग्यजन श्रेणी (वन लेग) में चयनित है, उन्हें अपनी निःशक्तता के संबंध में चिकित्सा मण्डल (Medical Board) द्वारा जारी मूल निःशक्तता** प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16. ऐसे अभ्यर्थी जिनका **चयन विधवा अथवा परित्यक्तता श्रेणी में आरक्षित पदों के विरूद्ध किया गया है उन्हें इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा कार्यग्रहण करने की तिथि** तक पुर्नविवाह नहीं किया है।

17. उक्त आदेश की पालना में **कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि 11.10.2018 निर्धारित** है। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

18. कार्यग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुदेय नहीं है।

05/10/18

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प03/2018/80 दिनांक : 05/10/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1) विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2) विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3) निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग
5) निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
6) संबंधित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल
7) रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8) रजिस्ट्रार, राजस्थान डेन्टल काउंसिल, जयपुर।
9) समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन,
10) संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी को भेजकर लेख है कि **अभ्यार्थी के कार्यग्रहण के समय मूल दस्तावेज की जांच व संतानों/तम्बाकू सेवन नहीं करने के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादी–शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की पुष्टि कर अभ्यार्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख ले तथा आर. एम. सी. के रजिस्ट्रेशन की भी जांच करें तथा रजिस्ट्रेशन एवं इन्टरशिप पूर्ण नहीं होने की स्थिति में भी कार्यग्रहण नहीं करावें।**
11) संबंधित चिकित्सक को विभाग की बेवसाईट http://www.rajswasthya.nic.in के माध्यम से सूचनार्थ।
12) संबंधित डीलिंग असिस्टेंट को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से प्राप्त मूल आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजों के, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त मूल चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रोल आदि सहित।
13) प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड करने का श्रम करें।
14) कम्प्यूटर सैल/आदेश पत्रावली/ निजि पत्रावली।

05/10/18

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर

40
5/10